फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना राजेपुर
दिनांक :- 10.07.2025

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 86/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित/नामजद अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर अजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 86/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस के सम्बन्ध में थाना राजेपुर पुलिस को शीघ्र घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था । उपरोक्त के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियोग से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण अभिषेक पुत्र सोवरन व सरिता पत्नी अभिषेक को मुखविर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- अभिषेक पुत्र सोवरन
2- सरिता पत्नी अभिषेक

निवासीगण मोहल्ला पटवनगली थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - दिनांक 06.07.2025 को थाना राजेपुर क्षेत्र में बरेली इटावा मार्ग पर स्थित नासे नाला के पुल ग्राम महमदपुर गढ़िया के तालाब में एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ । ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर दिनांक 06.07.2025 को ही सूचना फौती दर्ज की गयी । जिसमें मृतिका की शिनाख्त कीर्ति पुत्री सोवरन उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मोहल्ला पटवनगली थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के रूप में हुयी । जिसका पोस्टमार्टम पैनल के तहत डाक्टरी परीक्षण कराया गया । परिजनो के द्वारा एफ0आई0आर0 हेतु प्रा0पत्र न देने पर व पीएम रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर व गांव वालो से पूछताछ के आधार पर थाना राजेपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री अमित कुमार के द्वारा तहरीर प्राप्त कर मु0अ0स0 86/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस में अभियुक्तगण अभिषेक पुत्र सोवरन व सरिता पत्नी अभिषेक उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। परिजनो के द्वारासंतोषपद जबाब न देने पर जब पुलिस के द्वारा पूछताछ व सीडीआर का अवलोकन किया गया तो मृतिका कीर्ति की हत्या उसके बड़े भाई अभिषेक व भाभी सरिता के द्वारा किया जाना पाया गया । जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी कि मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्तगण अभिषेक व सरिता उपरोक्त को अभिषेक के मामा के घर ग्राम नगला घाघ से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त अभिषेक के द्वारा हत्या में प्रयुक्त गमछा व मोटर साइकिल को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है।

बरामदगी का विवरण -

1- हत्या में प्रयुक्त गमछा ।

2- हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल अपॉचे UP76AJ8854

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि कीर्ति मेरी सगी बहन थी उसका मोहल्ले के ही लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था । लोक लज्जा के डर से कीर्ति को मैंने व मेरी पत्नी सरिता ने कई बार समझाया लेकिन वह कोई बात मानने को तैयार नहीं थी । दिनांक 05/06.07.2025 की रात्रि करीब 03 बजे माँ को स्कूल में एडमिशन की बात बताकर अपनी बहन कीर्ति व पत्नी सरिता को साथ लेकर आया था । इधर का रास्ता मैं जानता व पहचानता हूँ क्योंकि मेरी ससुराल भी इधर ग्राम तेराखास में है । मैंने व मेरी पत्नी सरिता ने कीर्ति को बहुत समझाया बुझाया लेकिन वह कोई बात मानने को तैयार नही थी और कह रही थी मैं शादी उसी से करूंगी चाहे आप मुझे मार दो । मैंने गमछा से उसका नाक व मुँह कसकर दबा दिया था तथा मेरी पत्नी ने उसके हाथ पकड़ लिये थे । इसी से उसकी मृत्यु हो गयी तब मैंने उसको नासा नाला पुल से नीचे फेंक दिया । साहब, गुस्से में मुझसे यह घटना हो गयी जिसके बाद हम लोग बाइक से पांचाल घाट होते हुये फतेहगढ़ स्टेशन गये थे । जहां रास्ते में गंगा जी पुल के ऊपर से अपना गमछा फेंक दिया था । जो मैंने आपको बरामद करा दिया है । साहब, मुझसे गलती हो गयी माफ कर दीजिये । अन्य सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया गया।

अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0स0 86/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त सरिता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0स0 86/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीमः-

1- प्र0नि0 श्री नवीन कुमार सिंह

2- निरीक्षक अपराध श्री कामता प्रसाद

3- का0 अमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

को0 फर्रूखाबाद

दि0-10.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1 पवन कुमार दुबे पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी पल्ला को0 फर्रूखाबाद 2 मधुकर उर्फ कुलश्रेष्ठ दुबे पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी जगत नारायण स्ट्रीट सधवाडा को0 फर्रूखाबाद 3 मोहित वर्मा पुत्र दयालवर्मा निवासी बूरावाली गली को0फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 735/2016 वाद स0- 103/2016 धारा- 392,379,356,411 भादवि को0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 10.07.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 03 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रू0के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

डीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिह

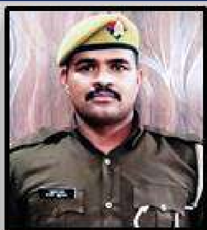

को0मो0 का0 बन्टी कुमार

पैरोकार का0 धर्मेन्द्र कुमार